

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/2017/१७९५

दिनांकः— २२/१२/१८

आदेश

मण्डल की एन.ई.बी. विस्तार योजना अलवर में विभिन्न आय वर्गों के 71 फ्लैटों का निस्तारण करने हेतु उप आवासन आयुक्त वृत अलवर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	कुल योग
	MIG-1	7D/M-I/TF/14, 7F/M-I/TF/13, 7F/M-I/TF/16, 7E/M-I/TF/16, 7F/M-I/SF/11, 7A/M-I/TF/13, 7C/M-I/GF/01, 7F/M-I/GF/04, 7B/M-I/FF/05, 7E/M-I/GF/01, 7E/M-I/GF/04, 7E/M-I/SF/11, 7B/M-I/SF/11, 7A/M-I/FF/07, 7B/M-I/TF/14, 7C/M-I/FF/08, 7C/M-I/SF/11, 7D/M-I/GF/03, 7D/M-I/FF/07, 7D/M-I/SF/11, 7D/M-I/TF/15, 7A/M-I/SF/10, 7B/M-I/GF/01, 7B/M-I/SF/10, 7E/M-I/FF/05, 7E/M-I/TF/15,	26
	LIG	6A/L/TF/31, 6A/L/FF/22, 6C/L/TF/30, 6B/L/SF/26, 6B/L/GF/20, 6D/L/SF/28, 6B/L/SF/27, 6D/L/TF/13, 6A/L/TF/14, 6A/L/FF/08, 6B/L/TF/13, 6B/L/FF/06, 6B/L/SF/12, 6C/L/FF/05, 6D/L/SF/10, 6C/L/GF/04, 6C/L/TF/16, 6B/L/GF/01, 6A/L/TF/29, 6A/L/TF/16, 6A/L/SF/09, 6A/L/GF/18, 6B/L/GF/04, 6B/L/FF/07, 6B/L/SF/11, 6B/L/TF/15, 6C/L/GF/02, 6C/L/SF/09, 6C/L/SF/11, 6C/L/TF/15, 6C/L/GF/19, 6C/L/SF/25, 6D/L/GF/02, 6D/L/SF/09, 6D/L/SF/12, 6D/L/SF/27, 6D/L/TF/30, 6A/L/FF/06, 6A/L/SF/10, 6A/L/TF/13, 6A/L/TF/30, 6C/L/FF/07, 6D/L/FF/07, 6D/L/GF/18, 6D/L/GF/04,	45
		कुल योग	71

खुली बिक्री योग्य में फ्लेटों के निस्तारण से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा रकीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर रही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजरथान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड अलवर, रा०आ०म० अलवर।
8. ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.भ., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन अयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D
D
निवासन
R
उप आयुक्त